अध्याय 2 – ई–नीलामी: रूपरेखा और प्रक्रिया

निरस्त कोयला ब्लॉकों के आबंटन के लिए कानूनी ढ़ाँचा कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (जिससे पहले अक्तूबर 2014 और दिसम्बर 2014 में दो अध्यादेश लाए गए) कोयला खान (विशेष उपबंध) नियम द्वारा उपलब्ध करवाया गया, जिनके पश्चात् मानक निविदा दस्तावेज (एस टी डी) जारी किए गए। इस ढाँचे के अंतर्गत, कोयला खानों की नीलामी की निर्धारित व्यवस्था इस प्रकार है:

2.1 कोयला खानों/ब्लॉकों को चिंहित और वर्गीकृत करना

अधिनियम में तीन अनुसूचियाँ थीं, प्रत्येक में कोयला खानों/ब्लॉकों की एक सूची थी:

- **अनुसूची-I** मुख्य अनुसूची थी, जिसमें सभी 204 निरस्त खानों/ब्लॉकों की सूची थी।
- **अनुसूची-II** में 42 कोयला खानें/ब्लॉक थे, जो कि उत्पादन कर रहे थे/उत्पादन के लिए तैयार थे।
- **अनुसूची-III** में 32 कोयला खानें/ब्लॉक थे, जो कि अपनी वैधानिक अनुमतियों के उच्च चरण पर थे।

अधिनियम ने निरस्त कोयला खानों के आबंटन के लिए दो विधियाँ उपलब्ध करवाई। यह थीं:

- विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोग (एस ई यू) के लिए सार्वजनिक नीलामी जैसे कि विद्युत के उत्पादन/कैप्टिव विद्युत; लोहे/इस्पात/सीमेंट का उत्पादन। ये एस ई यू 'विद्युत' और 'गैर नियमित' क्षेत्र श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत थे।
- एक सरकारी कंपनी को या निगम को या दो या अधिक सरकारी कंपनियों या निगमों के बीच एक संयुक्त उपक्रम को या निगमों या उस कंपनी को जिसे एक विद्युत परियोजना प्रदान की गई हो (अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं सहित), को आबंटन।

कोयला मंत्रालय (एम ओ सी) ने 29 अक्तूबर 2014 को (i) नीलामी और आबंटन (ii) विद्युत और गैर नियमित क्षेत्रों के अंतर्गत वर्गीकरण (iii) अनुसूची-I से अनुसूची-III में कोयला खानों के स्थानांतरण के सुझाव के लिए खानों को चिंहित करने हेतु मापदंड तैयार करने के लिए एक अंतर–मंत्रालयी तकनीकी समिति (आई एम टी सी) का गठन किया।

2.2 कोयला खानों का मूल्यांकन

निरस्त किये गये कोयला ब्लॉकों के आबंटन से पूर्व कोयला खानों का मूल्यांकन आवश्यक था। तद्नुसार एम ओ सी ने (i) गैर नियमित क्षेत्र के कोयला खानों की नीलामी के लिए न्यूनतम मूल्य और (ii) विद्युत क्षेत्र की कोयला खानों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य के निर्धारण हेतु एक विधितंत्र

निर्धारित किया। विधितंत्र में न्यूनतम एवं आरक्षित मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य के लिए कोयला खानों/ब्लॉकों के मूलभूत मूल्य की गणना का प्रावधान था। न्यूनतम मूल्य के लिए ₹150 प्रति टन और आरक्षित मूल्य के लिए ₹100 प्रति टन (निश्चित) की न्यूनतम दर का निर्धारण किया गया। विधितंत्र में विद्युत क्षेत्र की कोयला खानों हेतु अधिकतम मूल्य के निर्धारण के लिए भी व्यवस्था की, जिसे कोयले के समकक्ष ग्रेड के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सी आई एल) का अधिसूचित मूल्य होना था। गैर नियमित क्षेत्र की कोयला खानों के लिए बोली न्यूनतम मूल्य से प्रारंभ होनी थी। विद्युत क्षेत्र की कोयला खानों हेतु सफल बोलीदाताओं द्वारा निकाले गए कोयले के लिए आरक्षित मूल्य का भुगतान किया जाना था और इन खानों के लिए बोली का प्रारंभ अधिकतम मूल्य से कम मूल्य पर प्रारंभ होना था।

मूल्यांकन के लिए विधितंत्र में यह भी व्यवस्था थी कि कोयला खानों के सफल आबंटियों को मूलभूत मूल्य का 10 *प्रतिशत* अग्रिम भुगतान के रूप में भी करना होगा।

सेंट्रल माइन प्लानिंग एवं डिजाईन इन्स्टीट्यूट लिमिटेड (सी एम पी डी आई एल) ने कोयला खानों के मूलभूत मूल्य तथा संबंधित न्यूनतम एवं अतिरिक्त आरक्षित मूल्य[4] की गणना के लिए विस्तृत कार्य किया।

2.3 पूर्व आबंटियों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना

पूर्व आबंटियों ने स्वीकृत खनन योजना और प्राप्त की गई विभिन्न अनुमतियों एवं स्वीकृतियों तथा भूमि अधिग्रहण आदि से संबंधित अन्य विवरण उपलब्ध करवाए। चिन्हित, वर्गीकृत और मूल्यांकन करने का कार्य अलग–अलग कोयला खानों (कोयले के ग्रेड, निष्कर्षणीय भण्डारों सहित) से संबंधित सूचना और आँकड़ों के आधार पर किया गया जैसे कि पूर्व आबंटियों द्वारा उपलब्ध करवाई गई।

2.4 नीलामी के लिए कोयला खानों को दी गई वरीयता

नीलामी के लिए कोयला खानों की वरीयता का विवरण निम्नानुसार है:

- प्रथम ट्रेंचः–अनुसूची-II की 42 कोयला खानों (नीलामी के लिए चिन्हित किए गए) में से 20, जो कि या तो उत्पादन कर रही थीं या उत्पादन के लिए तैयार थीं।
- द्वितीय ट्रेंचः–अनुसूची-III की 32 कोयला खानों (नीलामी के लिए चिन्हित किए गए) में से 18 खानें थीं।

2.5 अतिरिक्त लेवी का भुगतान

[4] विधितंत्र में आरक्षित मूल्य ₹100 प्रति टन की दर पर निर्धारित था तथा अतिरिक्त आरक्षित मूल्य कोयला खान (न्यूनतम ₹150 प्रति टन) के मूलभूत मूल्य पर आधारित था, जिसका विद्युत की मर्चेन्ट बिक्री हेतु प्रयुक्त कोयले की मात्रा के लिए आबंटी द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

माननीय सर्वोच्च न्यायलय के दिनांक 24 सितम्बर 2014 के आदेश ने निरस्त कोयला ब्लॉकों के पूर्व आबंटियों द्वारा निकाले गए कोयले पर ₹295 पी एम टी की दर से 'अतिरिक्त लेवी' के भुगतान के लिए व्यवस्था दी। यह किसी भी पूर्व आबंटी द्वारा किसी भी कोयला खान के लिए होने वाली ई–नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक पूर्व शर्त भी थी।

2.6 मानक निविदा दस्तावेज/निविदा दस्तावेज

ई–नीलामी की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए एम ओ सी द्वारा तैयार किया गया एक दृष्टिकोण पत्र टिप्पणियों और प्रतिक्रिया के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया। एस टी डी को विभिन्न हिस्सेदारों के विचारों और सी आई एल/इसके कानूनी सलाहकार के विचारों को सम्मिलित करते हुए तैयार किया गया और अन्तिम रूप दिया गया। इसके पश्चात्, अलग–अलग कोयला खानों के लिए निविदा दस्तावेज को एम एस टी सी लिमिटेड (कोयला खानों की ई–नीलामी करवाने के लिए सेवा प्रदाता) की वेबसाईट पर जारी किया गया।

2.7 नीलामी प्रक्रिया

2.7.1 विद्युत क्षेत्र के लिए चिन्हित की गई कोयला खानें

विद्युत क्षेत्र के लिए चिन्हित की गई कोयला खानों की नीलामी, विद्युत के उत्पादन में वृद्धि के साथ विद्युत उपभोक्ताओं को सस्ते कोयले का लाभ उपलब्ध करवाने के दोहरे उद्देश्य के साथ की गई। इस संदर्भ में, विद्युत क्षेत्र की कोयला खानों के लिए 27 दिसम्बर 2014 को जारी एस टी डी ने दो चरणों की एक बोली पद्धति का निर्धारण किया अर्थात् चरण–I और चरण–II।

2.7.1.1 चरण–I बोली

चरण–I बोली के अंतर्गत दो लिफाफों को जमा करवाया जाना था जिसमें समाविष्ट किए जाने थे:

- तकनीकी बोली, जिसमें बोलीदाताओं को अर्हता शर्तों को पूरा करने से संबंधित विवरण उपलब्ध करवाने थे; और
- वित्तीय बोली, प्रारम्भिक मूल्य प्रस्ताव (आई पी ओ) को बताने की सीमा तक स्पष्ट होनी चाहिए थी जो कि अधिकतम मूल्य[5] से अधिक नहीं होनी चाहिए थी।

[5] कोयला खान के लिए अधिकतम मूल्य कोयले के समकक्ष ग्रेड के लिए सी आई एल अधिसूचित मूल्य था।

- वित्तीय बोली, खान के संचालन (आर ओ एम) की लागत थी अर्थात् जिसकी बोलीदाताओं को विद्युत खरीद अनुबंधों (पी पी ए) के अंतर्गत विद्युत उपभोक्ताओं से ऊर्जा शुल्क के रूप में वसूलने की अनुमति थी।

इसके पश्चात् 31 जनवरी 2015 को एम ओ सी ने एस टी डी का एक शुद्धिपत्र संख्या–3 जारी किया जिसने वित्तीय बोली के प्रस्तुतिकरण से संबंधित शर्त को आई पी ओ निर्दिष्ट करने की सीमा तक संशोधित कर दिया। संशोधन में यह प्रावधान था कि आई पी ओ *आई एन आर* जीरो *(भारतीय रूपया शून्य)* के बराबर या अधिक होनी चाहिए और अधिकतम मूल्य से कम होना चाहिए।

तकनीकी बोलियों के प्राप्त होने के पश्चात् इन्हें एक पूर्व निर्धारित तिथि और स्थान पर उन भाग लेने वाले बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोला गया जो उपस्थित होना चाहते थे। इस उद्देश्य के लिए बनाई गई एक समिति द्वारा तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन किया गया। जो तकनीकी मूल्यांकन में योग्य रहे उन्हें 'तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता' (टी क्यू बी) कहा गया।

इसके पश्चात् टी क्यू बी के आई पी ओ को खोला गया और टी क्यू बी को आई पी ओ के बढ़ते क्रम के आधार पर क्रमबद्ध किया गया। जिन टी क्यू बी ने न्यूनतम दरें निवेदित की (जो क्रमबद्ध सूची के प्रथम 50 *प्रतिशत* थे या पाँच टी क्यू बी, जो भी अधिक था) उन्हें चरण-II बोली की ई–नीलामी में भाग लेने के लिए योग्य बोलीदाता (क्यू बी) माना गया। न्यूनतम आई पी ओ को उपयुक्त अधिकतम मूल्य के रूप में माना गया अर्थात् वह अधिकतम मूल्य जिससे कम पर चरण-II में अवरोही बोली प्रारंभ होगी।

2.7.1.2 चरण-II बोली

चरण-II बोली एम एस टी सी द्वारा पूर्व घोषित तिथि एवं समय पर आयोजित की गई। क्यू बी एक ही कोयला खान के संबंध में अपना अंतिम मूल्य प्रस्ताव (एफ पी ओ) तय समय–सीमा के दौरान जितनी बार चाहे दे सकते थे। एफ पी ओ (एक बोलीदाता द्वारा अंतिम अवरोही बोली) आर ओ एम की लागत थी अर्थात् जिसे बोलीदाताओं को विद्युत खरीद अनुबंधों (पी पी ए) के अंतर्गत विद्युत उपभोक्ताओं से ऊर्जा शुल्क के रूप में वसूलने की अनुमति थी।

दिसम्बर 2014 में जारी प्रारंभिक एस टी डी में प्रावधान था कि क्यू बी को अपनी बोलियाँ (एफ पी ओ) जमा करवानी थी जो कि दर्शाए गए न्यूनतम बोली मूल्य से कम से कम ₹2 कम होनी चाहिए थी। वह क्यू बी जो ई–नीलामी प्रक्रिया के दौरान न्यूनतम मूल्य प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा उसे "वरीय बोलीदाता" घोषित किया जाएगा।

एस टी डी (जनवरी 2015) के शुद्धिपत्र संख्या 3 ने बोली पद्धति में संशोधन कर उसे 'अवरोही' से 'अवरोही तत्पश्चात् आरोही' बना दिया। इस संशोधन में प्रावधान था कि ऐसे मामले में जब उपयुक्त अधिकतम मूल्य ₹शून्य के बराबर था या चरण–II में बोली के दौरान, एक क्यू बी ₹शून्य बोली निवेदित

करता है, तब बोली आरोही बोली में बदल जाएगी। उसके बाद क्यू बी को अपनी बोली के रूप में एक 'अतिरिक्त अधिमूल्य' का निवेदन करना था, जो कि अन्य सभी किए जाने वाले भुगतानों के अलावा कोयला खान से निष्कर्षित किये गये कोयले के लिए एक अतिरिक्त भुगतान था।

क्यू बी जिसने उच्चतम अतिरिक्त अधिमूल्य प्रस्तुत किया था उसे अवरोही तत्पश्चात् आरोही नीलामी/बोली के अंतर्गत "वरीय बोलीदाता" घोषित किया गया था।

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी (एन ए) ने कोयला मंत्रालय (एम ओ सी) को वरीय बोलीदाता का नाम अनुशंसित किया तथा अनुमोदन पर वरीय बोलीदाता को "सफल बोलीदाता" के रूप में घोषित किया गया।

सफल बोलीदाता से अपेक्षित था कि वह उचित सांविधिक करों के ₹100 प्रति टन ("निश्चित दर" अर्थात् आरक्षित मूल्य) के साथ "अतिरिक्त अधिमूल्य", अतिरिक्त यदि लागू हो, के आधार पर कोयला खान से निकाले गए कोयले के संदर्भ में नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को मासिक भुगतान करें।

2.7.1.3 मर्चेन्ट आधार पर विद्युत बिक्री का प्रावधान

एस टी डी में यह भी प्रावधान था कि सफल बोलीदाता विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोग संयंत्र (एस ई यू पी) की उत्पादन क्षमता के अधिकतम 15 *प्रतिशत* को मर्चेन्ट[6] विद्युत के रूप में बेच सकता है। उसमें यह भी अनुबंध किया कि मर्चेन्ट आधार पर बेची गई विद्युत के उत्पादन हेतु प्रयुक्त की गई कोयले की मात्रा के लिए ₹100 प्रति टन की निर्धारित दर ₹XXX[7] प्रति टन तक संशोधित रहेगी। एस टी डी ने आगे अनुबद्ध किया कि मर्चेन्ट आधार पर बेची गई ऐसी विद्युत के उत्पादन के लिए प्रयोग की गई कोयले की मात्रा पर 'अतिरिक्त अधिमूल्य' देय नहीं होगा।

2.7.2 गैर नियमित क्षेत्र की कोयला खान के लिए नीलामी प्रक्रिया

गैर नियमित क्षेत्रों के लिए दिसंबर 2014 में जारी की गई एस टी डी ने दो चरणों की बोली पद्धति का निर्धारण किया जैसे कि चरण I एवं चरण II।

2.7.2.1 चरण I बोली

चरण I बोली में दो लिफाफों को प्रस्तुत करना सम्मिलित था जिसमें :

- तकनीकी बोली, जिसमें बोलीदाता को अर्हता शर्तों को पूरा करने से संबंधित विवरण उपलब्ध करवाने थे; और
- वित्तीय बोली, प्रारंभिक मूल्य प्रस्ताव (आई पी ओ) को बताने की सीमा तक स्पष्ट होनी चाहिए थी, जो कि न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए थी।

[6] विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62/63 के अंतर्गत अनुबंधित किये गए मध्यम एवं दीर्घावधि पी पी ए के बाहर बेची गई विद्युत।
[7] खान के मूलभूत मूल्य के आधार पर प्रत्येक कोयला खान के लिए अलग से निर्धारित।

तकनीकी बोलियों के प्राप्त होने के पश्चात् इन्हें एक पूर्व निर्धारित तिथि और स्थान पर उन भाग लेने वाले बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोला गया जो उपस्थित होना चाहते थे। इस उद्देश्य के लिए बनाई गई एक समिति द्वारा तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन किया गया। जो तकनीकी मूल्यांकन में योग्य रहे उन्हें टी क्यू बी कहा गया।

इसके पश्चात्, टी क्यू बी के आई पी ओ खोले गए तथा अवरोही आई पी ओ के आधार पर टी क्यू बी को श्रेणीबद्ध किया गया। उच्चतम दर (प्रथम 50 *प्रतिशत* की रैंक या पाँच टी क्यू बी जो भी उच्चतम हो) प्रस्तुत करने वाले टी क्यू बी को चरण–II बोली के ई–नीलामी में भागीदारी के लिए योग्य बोलीदाता माना गया। उच्चतम आई पी ओ को उचित न्यूनतम मूल्य माना गया अर्थात् न्यूनतम मूल्य जिसके ऊपर चरण–II में आरोही बोली आरंभ होगी।

2.7.2.2 चरण II बोली

चरण II की बोली एम एस टी सी द्वारा पूर्व निर्धारित दिनांक एवं समय पर आयोजित की गई। क्यू बी निर्धारित समय के दौरान उसी कोयला खान के लिए जितनी बार चाहें अपने अंतिम कीमत प्रस्ताव (एफ पी ओ) को प्रस्तुत कर सकते थे।

एस टी डी में प्रावधान था कि क्यू बी को अपनी बोली (एफ पी ओ) प्रस्तुत करनी है, जिन्हें दर्शायी गई उच्चतम बोली से कम से कम ₹2 अधिक होना चाहिए। ई–नीलामी प्रक्रिया के दौरान जिस क्यू बी ने उच्चतम कीमत प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसे "वरीय बोलीदाता" घोषित किया जाना था।

2.8 सफल बोलीदाता घोषित करने के लिए एम ओ सी की स्वीकृति

बोली लगाने की प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात् प्रत्येक कोयला खान के वरीय बोलीदाता के संबंध में एन ए ने अपनी अनुशंसा को वरीय बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित करने हेतु एम ओ सी के पास अनुमोदनार्थ भेजा। इस प्रकार की अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात एम ओ सी, एन ए को सफल बोलीदाता के पक्ष में निधान आदेश जारी करने या एन ए को ऐसे अन्य बाध्यकारी निर्देश, जैसा भी उचित प्रतीत हो, उपलब्ध करवाने का निर्देश दे सकता है।

प्रथम दो ट्रेंचों में कोयला खानों की नीलामी से संबंधित दस्तावेजों में यह पाया गया कि एम ओ सी ने वरीय बोलीदाता को या तो सफल बोलीदाता घोषित करने के लिए स्वीकृति दे दी या मामले को पुनः जाँच के लिए एन ए को वापस भेज दिया और अपनी अनुशंसा दी। इस परिदृश्य में जो मामले पुनः जाँच के लिए भेजे गये थे पुनः जाँच के पश्चात् एन ए की अनुशंसा का संज्ञान लेकर एम ओ सी ने वरीय बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित करने के लिए अपनी अनुमति दे दी या बोली को अस्वीकृत कर दिया।

2.9 कोयला खान विकास एवं उत्पादन अनुबंध का हस्ताक्षरित होना

सफल बोलीदाता की घोषणा के पश्चात् एन ए ने सफल बोलीदाता के साथ कोयला खान विकास एवं उत्पादन अनुबंध (सी एम डी पी ए) संचालित किया।

2.10 निधान आदेश जारी करना

सफल बोलीदाता को भूमि एवं खान की आधारभूत संरचना का मूल्य, भूगर्भीय प्रतिवेदन की तैयारी की लागत, खनन परिचालन से संबधित सभी सांविधिक लाइसेंसों, परमिट, अनुमतियों, खनन संचालनों से संबंधित स्वीकृतियों या सहमतियों को प्राप्त करने की लागत, लेन देन व्यय[8] (सामूहिक रूप से 'निर्धारित राशि'), निष्पादन प्रतिभूति एवं अग्रिम भुगतान के मूल्य की पहली किस्त के लिए एक निर्धारित राशि का भुगतान करना होगा।

निष्पादन प्रतिभूति एवं अन्य भुगतानों की प्राप्ति पर सफल बोलीदाता को एन ए द्वारा निधान आदेश जारी किया गया।

प्रथम और द्वितीय ट्रेंच में नीलाम हुई कोयला खानों के लिए सी एम डी पी ए में प्रावधान था कि निष्पादन प्रतिभूति तब तक मान्य रहेगी जब तक कि कोयला खान वार्षिक उच्चतम क्षमता दर प्राप्त करती रहेगी। इसे तृतीय ट्रेंच में नीलाम हुई कोयला खानों के सी एम डी पी ए में संशोधित कर दिया गया जिसमें यह अनुबद्ध था कि निष्पादन प्रतिभूति तब तक मान्य रहेगी जब तक (ए) उस अवधि के समाप्त होने तक जिसके लिए खनन पट्टा (नवीनीकृत खनन पट्टे सहित) जारी किया गया हो या जारी किया जाएगा, या (बी) कोयला खान में निष्कर्षणीय भण्डार उपलब्ध हो, जो भी पहले हो।

2.11 निधान आदेशों के बाद सफल बोलीदाता के दायित्व

कोयला खान विकास एवं उत्पादन अनुबंध (सी एम डी पी ए) ने विभिन्न 'निधान आदेशों के बाद के दायित्वों' को अनुबद्ध किया जिसमें सम्मिलित है :

- निधान आदेश की तिथि के 30 व्यवसायिक दिन के भीतर प्रारंभिक योजना का प्रस्तुतीकरण;
- कोयले का उत्पादन प्रारंभ करने के लिए विभिन्न गतिविधियों को आरंभ करना;
- एफ पी ओ के आधार पर अतिरिक्त अन्य सांविधिक करों, रॉयल्टी सहित मासिक भुगतान करना;
- विभिन्न रिटर्न/सूचना के लिए प्रावधान जिसे सफल बोलीदाता को एन ए एवं कोयला नियंत्रक संगठन (सी सी ओ) को प्रस्तुत करना अपेक्षित था।

[8] नीलामी प्रक्रिया के आयोजन में एन ए द्वारा वहन की गई लागत एवं व्यय पर ₹1685400 की निर्धारित राशि।

2.12 विभिन्न हिस्सेदारों की भूमिका

कोयला खानों की नीलामी प्रक्रिया में सम्मिलित इकाईयों का विवरण निम्नानुसार है।

2.12.1 कोयला मंत्रालय

कोयला मंत्रालय (एम ओ सी) की भूमिका में सम्मिलित हैं :

- विद्युत/गैर नियमित क्षेत्र के लिए नीलामी/आबंटन हेतु कोयला खानों को चिन्हित एवं उनका वर्गीकरण करना;
- अनुसूची-I कोयला खानों की आबंटन रीति के लिए आदेश जारी करना;
- अनुसूची-III को, अनुसूची-I की किसी भी खान को सम्मिलित करते हुए संशोधन करना;
- वरीय बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित करने के लिए अनुमोदन देना।

2.12.2 नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी (एन ए)

भारत सरकार (जी ओ आई) ने एन ए को ई–नीलामी प्रक्रिया से संबंधित उद्देश्यों के लिए भारत सरकार की ओर से कार्य करने के लिए नियुक्त किया, जिसकी भूमिका में सम्मिलित है :

- पूर्व आबंटियों को अधिसूचित करना ताकि उन्हें नीलाम की जाने वाली कोयला खानों के विवरणों को अधिसूचित करने के लिए अपेक्षित सूचना को प्रस्तुत करने में समर्थ बनाया जा सके;
- न्यूनतम मूल्य अथवा आरक्षित मूल्य को मंत्रालय के परामर्श के अनुसार निर्धारित करना;
- विशेषज्ञों की सहायता से नीलामी प्रक्रिया आयोजित करना;
- सी एम डी पी ए को कार्यान्वित करना;
- हस्तांतरण के लिए निधान आदेशों को जारी करना तथा नीलामी के अनुसार कोयला खानों को निहित करना।

2.12.3 एम एस टी सी लिमिटेड (एम एस टी सी)

एन ए ने कोयला खानों की ई–नीलामी करने के लिए एम एस टी सी को ई–नीलामी सेवा प्रदाता बनाया (11 दिसंबर 2014) तथा एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) किया, जो ई–नीलामी एवं आबंटन के माध्यम से 204 कोयला खानों के आबंटित होने की अवधि तक ही वैध रहेगा।

2.12.4 सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीट्यूट लिमिटेड (सी एम पी डी आई एल)

एम ओ सी द्वारा चिन्हित प्रत्येक कोयला खान के लिए खान डोजियर की तैयारी से संबंधित कार्य को एम ओ सी ने (अक्तूबर 2014) सी एम पी डी आई एल को सौंपा। खान डोजियर में भूगर्भीय प्रतिवेदन, खान योजना, खान समापन योजना तथा पर्यावरण एवं वन स्वीकृति सम्मिलित हैं। सी एम पी डी आई एल ने एम ओ सी द्वारा जारी किये गए दिशानिर्देशों/विधितंत्र के अनुसार प्रत्येक खान के मूलभूत मूल्य/एन पी वी एवं न्यूनतम मूल्य को भी निर्धारित किया।

2.12.5 कोयला नियंत्रक संगठन (सी सी ओ)

कोयला नियंत्रक संगठन (सी सी ओ) एम ओ सी के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है। सी सी ओ के कार्यों में अन्य बिन्दुओं के साथ साथ कोयले का नमूना लेने की प्रक्रिया और मानक निर्धारित करना, कोयले की सही श्रेणी, वर्ग एवं आकार को सुनिश्चित करने हेतु कोयला खानों का निरीक्षण करना व कोयला खान को खोलने/पुनः खोलने की अनुमति देना सम्मिलित था। सांविधिक कार्यों के अतिरिक्त, कैप्टिव कोयला खानों की प्रगति की निगरानी एवं उनसे संबंधित अन्त्य उपयोग परियोजनाओं के कार्य भी सी सी ओ द्वारा किये जाने थे।

अधिनियम एवं नियमों के अनुसार, एम ओ सी ने सी सी ओ को अनुसूची-II कोयला खानों के पूर्व आबंटियों से अतिरिक्त लेवी को संग्रहित करने तथा उसे सरकार के खाते में जमा करने का प्राधिकार (दिसंबर 2014) दिया।

2.12.6 एन ए का लेन–देन सलाहकार

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने एस बी आई कैपिटल मार्किट्स लिमिटेड को कोयला खानों की ई–नीलामी जिसमें आरक्षित/न्यूनतम मूल्य की गणना, नीलामी प्रक्रिया की अभिकल्पना करना तथा निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप को प्रस्तुत करने हेतु व्यवस्था करना; निर्धारित समय सीमा में कोयला खानों का आबंटन एवं नीलामी; सी एम डी पी ए को तैयार करना एवं निधान आदेश सम्मिलित हैं, से संबंधित मामलों पर सहायता देने के लिए लेन–देन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया (जनवरी 2015)।

2.13 ई–नीलामी के परिणाम

ई–नीलामी के लिए प्रस्तुत कोयला खानों और प्रथम एवं द्वितीय ट्रेंच में सफल रूप से नीलाम की गई कोयला खानों का सार तालिका 2 में दिया गया है। ब्यौरे **अनुलग्नक I** में दिये गए हैं।

तालिका 2 : प्रथम एवं द्वितीय ट्रेंच के दौरान नीलाम की गई कोयला खानों का सार

ट्रेंच	नीलामी के लिए प्रस्तुत कोयला खानों की संख्या			नीलामी में सफल कोयला खानों की संख्या		
	विद्युत	गैर नियमित	कुल	विद्युत	गैर नियमित	कुल
प्रथम ट्रेंच (सभी अनुसूची-II)	06	14	20	05	11	16
द्वितीय ट्रेंच (सभी अनुसूची-III)	05	13	18	04	09	13
कुल	**11**	**27**	**38**	**9**	**20**	**29**

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण ने दर्शाया कि नीलामी के लिए प्रस्तुत 38 कोयला खानों में से 29 कोयला खानों की सफल रूप से नीलामी हुई। निम्नलिखित कारणों से शेष खानों की सफल रूप से नीलामी नहीं हुई:

- अनुसूची-II एवं अनुसूची-III की प्रत्येक (गैर नियमित क्षेत्र) दो कोयला खानों के संदर्भ में तीन से कम तकनीकी बोलियाँ प्राप्त हुईं;
- कोयले का उचित मूल्य प्राप्त न होने के कारण एम ओ सी द्वारा तीन कोयला खानों (गैर नियमित क्षेत्र का एक तथा विद्युत क्षेत्र के दो) की नीलामी को निरस्त कर दिया गया; तथा
- एम ओ सी द्वारा अनुसूची-III की दो कोयला खानों (गैर नियमित क्षेत्र) को नीलामी प्रक्रिया से हटा लिया गया।